

**कार्यालय जिला कलेक्टर (रसद) जालोर**  
**प्रेस विज्ञप्ति**


**दिनांक 1.8.2018**

जिले में नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाने हेतु  
जिले की रिक्त उचित मूल्य दुकानों की सूचना

नाम तहसील	क्र.स.	शहरी		क्र.स.	ग्रामीण	
		शहरी	वार्ड संख्या		रिक्त दुकान का स्थान	ग्राम पंचायत
जालोर	1	जालोर शहर	वार्ड सं. 03	1	आडवाडा	डूडसी
	2	जालोर शहर	वार्ड सं. 19,23	2	सरत	चूरा
				3	बाकरा रोड	बाकरा रोड
				4	रायपुरिया	सिवणा
आहोर	-	-	-	5	आईपुरा	आईपुरा
				6	पीपरला की ढाणी	बाकली
				7	भोरडा	भोरडा
				8	मीठडी	देवकी
				9	अजीतपुरा	अजीतपुरा
				10	रुण्डमाल की ढाणी	वलदरा
सायला	-	-	-	11	विराणा	रेवतडा
बागोडा	-	-	-	12	राउता	राउता
				13	छजाला	नांदिया
				14	नया चैनपुरा	चैनपुरा
				15	खोखा	खोखा
				16	जेरण	जेरण
				17	देवदा का गोलिया	मोरसीम
				18	धुम्बडिया	धुम्बडिया
				19	नांदिया	नांदिया
				20	मोरसीम	मोरसीम
				भीनमाल	1	भीनमाल शहर
2	भीनमाल शहर	वार्ड सं. 4				
3	भीनमाल शहर	वार्ड सं. 22				
रानीवाडा	-	-	-	22	लाखावास	चाटवाडा
				23	करडा	करडा
				24	धानोल	धानोल
				25	रतनपुरा	मैत्रीवाडा
जसवन्तपुरा	-	-	-	26	दांतवाडा	दांतवाडा
				27	खाण्डादेवल	गजीपुरा
				28	गजीपुरा	गजीपुरा
				29	मण्धर	पावली
				30	खानपुर	खानपुर
				31	रामसीन-I	रामसीन
				32	रामसीन-II	रामसीन
सांचोर	4	सांचोर	सांचोर	33	अगार	कीलवा
				34	डांगरा	धानता
				35	पालडी सोलंकियान	पालडी सोलंकियान
चितलवाना	-	-	-	36	भादरुणा	भादरुणा
				37	झोटडा	झोटडा
				38	टापी	टापी
				39	हेमागुडा	हेमागुडा
				40	झाब	झाब
				41	आकोली	आकोली
				42	आमली	हाडेचा
				43	आरवा	आरवा
				44	होतीगांव	होतीगांव
				45	शिवपुरा	होतीगांव
				46	रतौडा	रतौडा
				47	टापी	टापी
				48	भूतेल	देवडा
				49	सरवाना	सरवाना
				50	सांगवाडा	डबाल
				51	पमाणा	पमाणा
				52	मैसवाडा	मैसवाडा
				53	मडगांव	मडगांव

जिले में नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की सूचना:-

नाम तहसील	क्र.स.	शहरी		क्र.स.	ग्रामीण	
		शहरी	वार्ड संख्या		रिक्त दुकान का स्थान	ग्राम पंचायत
जालोर	1	-	-	1	रटूजा	आबलोज
				2	रेवत	रेवत
आहोर	-	-	-	3	पादरली	पादरली
सायला	-	-	-	4	मंगलवा	मंगलवा
				5	दादाल	दादाल
				6	तिलोडा	तिलोडा
बागोडा	-	-	-	7	राउता	राउता
				8	नई मोरसीम	नई मोरसीम
भीनमाल	-	-	-	9	नरसाणा	नरसाणा
जसवन्तपुरा	-	-	-	10	दासपा	दासपा
				11	कोटडा	पुरण
सांचोर	-	-	-	12	अंबातरी	चांदुर
				13	मोरुखेडा	पमाणा
चितलवाना	-	-	-	14	केरिया	केरिया
				15	सुराचन्द	सुराचन्द
				16	सिपाहियों की ढाणी	खेजडियाली
				17	नलधर	भाटीप
				18	दुठवा	दुठवा
				19	चितलवाना	चितलवाना
				20	आम्बा का गोलिया	झाब
				21	चारणीयम	केरिया

  
कृत जिला कलेक्टर (रसद) जालोर

नोट :- विभागीय निर्देशों की पालना दिनांक 18.3.2018 के द्वारा जारी विज्ञापित में प्राधिकार पत्र लेने से शेष रहे उचित मूल्य दुकानों का चयन आदेश निरस्त करते हुए यह विज्ञापित जारी की जाती है।

शर्तें:-

1. आवेदन पत्र केवल मात्र जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी, बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- निर्धारित किया गया है। जिला रसद कार्यालय जालोर से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी जालोर के नाम से जमा कराया जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 29.8.2018 (सायं 6.00 बजे) नियत है। नियत तिथि पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों के मामलों में आवेदन उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम का या वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है।
3. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है। अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।
4. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी आवश्यक है। अन्तिम तिथि को अर्थात् 29.8.2018 को आवेदक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी आवश्यक है। अन्तिम तिथि को अर्थात् 29.8.2018 को आवेदक की आयु 21 वर्ष से एवं कम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. आवेदक के दो से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहिए एवं आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा नयी न्यूनतम एक लाख रुपये का हैसियत प्रमाण जो छः माह से अधिक पुराना ना हो, प्रस्तुत करना आवश्यक है।
6. विभिन्न न्यायलयों के विचाराधीन उचित मूल्य दुकानों के मामलों में सरकार के विरुद्ध निर्णय पारित होने पर उन स्थानों के लिये प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। जो अस्वीकार्य होंगे।
7. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे तथा जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करने है उन्हे छः माह में मापदण्ड पुरे किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. आवेदन द्वारा दुकान का ब्लू-प्रिन्ट नक्शा व किराये/स्वयं की दुकान के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र/किरायानामा भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ हो और ना ही विधिक रूप से अयोग्य/दिवालिया घोषित किया गया है। तथा आवेदन के परिवार में किसी भी सदस्या के नाम पूर्व में कोई उचित मूल्य की दुकान नहीं हो।
10. आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी/पति वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि घोषित नहीं हुआ हो।
11. विभागीय दिशा निर्देशानुसार दिनांक 17.3.2016 के अनुसार रिक्त एवं नवसृजित दुकानों के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उन पर पात्रता अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
12. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएँ गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने व कानूनी कार्यवाही आदि करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
13. आवेदक की शैक्षिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जारी कारी (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के पत्रों को भी आवंटन के लिये स्वीकार किया जायेगा।
14. आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 100000/- रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिये कार्यक्रम अधिकारी, महिला स्वयं अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25000/- रुपये होना आवश्यक है।

शेष शर्तें एवं नियम आवेदन-पत्र के साथ संलग्न है।

आवेदन पत्र अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालय समय में दिनांक 29.8.2018 सायं 6.00 बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं।

क्रमांक/सम/2018/ 1395-1427  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर
3. श्रीमान, जिला कलेक्टर महोदय जालोर
4. माननीय सांसद लोक सभा क्षेत्र जालोर-सिरोही
5. माननीय विधायक महोदय विधान सभा क्षेत्र जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, एवं सांचोर
6. माननीय जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद जालोर
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी जालोर को भेजकर लेख है कि उक्त बेटक कार्यक्रम निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।
8. उपखण्ड अधिकारी समस्त
9. तहसीलदार समस्त
10. नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु कलेक्ट्रेट/रसद/नगर परिषद/पंचायत समिति जालोर
11. रक्षक पत्रावली

कृते कृते जिला कलेक्टर (रसद)  
जालोर  
दिनांक : 01/08/2018

(राजेन्द्रसिंह RAS)  
जिला रसद अधिकारी  
जालोर